प्रकाशनार्थ

सर्वसाधारण को जितेन्द्र कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री बनवारीलाल वार्ष्णेय निवासी 2/877 ज्ञान सरोवर अलीगढ़ की ओर से सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में बंधक किये जाने वाले मकान नगर निगम संख्या 2/जे0-26 नया नं0 2/877 जो प्लाट संख्या जे-28 रकबा 213 वर्ग गज अर्थात 178 वर्ग मी0 स्थित ज्ञान सरोवर, रामघाट रोड परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ का पुराना पट्टा विलेख जिसका लेख श्रीमान उपनिबंधक सदर हाथरस के यहां पर दिनांक 31/09/1996 बही बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2204 पृष्ठ संख्या 106 क्रमांक 7742 पर दर्ज है जो कि मानसरोवर ग्रह निर्माण सहकारी आवास समिति लि0 ने हरिशंकर शर्मा पुत्र श्री भूरे सिंह शर्मा के नाम किया है बैनामा में से वह पृष्ठ जिसके पीछे बही संख्या जिल्द संख्या दर्ज है तथा उपनिबंधक के हस्ताक्षर है कहीं गिर गया है इस पट्टा विलेख से अग्रिम बैनामे के आधार पर सम्पत्ति उक्त बैंक में बंधक हेतु प्रस्तावित है, यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझ अधोहस्ताक्षरी को निम्न पते पर सूचित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि सम्पत्ति हर प्रकार के भार व बन्धन से मुक्त है, और बैंक बंधक करने की अग्रेतर कार्यवाही करेगा।

सम्पत्ति विवरण:- मकान नगर निगम संख्या 2/जे0-26 नया नं0 2/877 जो प्लाट संख्या जे-26 रकबा 213 वर्ग गज अर्थात 178 वर्ग मी0 स्थित ज्ञान सरोवर, रामघाट रोड परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़। जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:- पूरब- सम्पत्ति संख्या जे 25 जसवीर कौर, पश्चिम- सम्पत्ति संख्या जे-27 आर के अग्रवाल, उत्तर- मकान संख्या जे 10, दक्षिण- रास्ता 25 फिट चौड़ा कॉलोनी रोड।

मुनेश कुमार शर्मा (अधिवक्ता)
ई-मेल: muneshsharma1980@gmail.com
मोबाइल: 9412326468, चैम्बर- सिविल कोर्ट, अलीगढ़।

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई-400 013
शाखा कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बल्लुपुर चौक, आशीर्वाद पेट्रोल पम्प और आशीर्वाद हॉस्पिटल के बीच, देहरादून, उत्तराखंड-248001

मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने उनको बैंक से उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज चुकाने में चूक की है तथा उनकी ऋण सुविधाएं बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की श्रेणी में सूचीबद्ध की जा चुकी हैं। उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी ऐक्ट) की धारा 13(2) के तहत, उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना प्रेषित की गई थी, तथापि क्योंकि कुछ सूचनाएं अवितरित/अदावित के रूप में वापस प्राप्त हो चुकी हैं और इसलिए उनको एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ता एवं गारंटर का नाम	बैंक के पास बंधक अचल संपत्ति का वर्णन
1. मैसर्स कल्पामृत आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार/बंधकदाता) इसके निदेशकों के माध्यम से : श्री सुदेश कुमार, श्री बालकृष्ण आर्य तथा श्री नितिन राठी पता :- एनआईए, बहादराबाद, मंडी अलीपुर रोड, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249402 2. श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री बालकृष्ण आर्य (गारंटर/निदेशक) पता :- मकान नंबर 50, मानसी एन्क्लेव जगजीतपुर, निकट एसआर मेडिसिटी हॉस्पिटल, कनखल, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249408 3. श्री बालकृष्ण आर्य पुत्र श्री मान सिंह (गारंटर/निदेशक) पता :- मकान नंबर 50, मानसी एन्क्लेव जगजीतपुर, निकट एसआर मेडिसिटी हॉस्पिटल, कनखल, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249408 4. श्री नितिन राठी पुत्र श्री तेजपाल राठी (गारंटर/निदेशक) पता :- 15/8, भू तल, हनुमंत पुरम, कनखल, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249408	सेल डीड दिनांकित 24-06-2022 के अनुसार क्र. सं. 6401 खाता नंबर विवरण : संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि चक नंबर 939, क्षेत्रफल परिमाण 0.2812 हेक्टेयर, जो ग्राम भगवतपुर आबिदपुर उर्फ इक्काड परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित है। निम्नानुसार परिबद्ध :- पूर्व : श्री बबलू की भूमि, पश्चिम : श्री जाहिद की भूमि, उत्तर : रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिण : चक रोड 8 फीट चौड़ी, संपत्ति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री बालकृष्ण आर्य मकान नंबर 50, मानसी एन्क्लेव जगजीतपुर, निकट एसआर मेडिसिटी हॉस्पिटल, कनखल, जिला हरिद्वार के माध्यम से मैसर्स कल्पामृत आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है। खसरा नंबर : 1026/1, 1026/2, 1028, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1029/2 क्षेत्रफल हेक्टेयर में : 0-0-10, 0-3-8, 0-14-6, 0-4-5, 1-1-8, 1-10-0, 0-19-0, 2-17-7, 0-0-12, 0-8-4, 0-5-17 संपत्ति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री बालकृष्ण आर्य मकान नंबर 50, मानसी एन्क्लेव जगजीतपुर, निकट एसआर मेडिसिटी हॉस्पिटल, कनखल, जिला हरिद्वार, औद्योगिक के माध्यम से मैसर्स कल्पामृत आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है।
ऋण सं. /ऋण उत्पाद 50200081088341 ईईजी - ओवरड्राफ्ट	13(2) के अनुसार बकाया राशि रू. 83,87,480.67 (रुपये तिरासी लाख सतासी हजार चार सौ अस्सी तथा पैसे सड़सठ मात्र)
एनपीए की तिथि : 21-अप्रैल-2026	सूचना की तिथि : 23-जून-2026

सूचना की वैकल्पिक तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त नामक कर्जदार तथा उनके गारंटर(रों) (जहां भी लागू हो) से एतद्द्वारा उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, अन्यथा 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे। कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्ति छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 01-08-2026
स्थान : हरिद्वार

वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

JTEKT
जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN – L29113DL1984PLC018415)
पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.
फोन नंबर : 011-23311924, 23327205
ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: https://jtekt.co.in/

42वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी, रिकॉर्ड डेट और स्पेशल विंडो

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:

1) जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरहोल्डर्स की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('वीसी') के माध्यम से होगी। कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) के 22 सितंबर, 2025 के जनरल सर्कुलर नंबर 3/2025 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समय-समय पर जारी सर्कुलर (जिन्हें आगे एक साथ "सर्कुलर" कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनियों को शेयरहोल्डर्स के किसी उभय स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है, इसलिए, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से हो रही है ताकि 14 मई, 2026 के एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय का निष्पादन किया जा सके।
2) सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी 31 जुलाई, 2026 को उन सभी शेयरहोल्डर्स को भेजी जा चुकी है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://jtekt.co.in/, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।
3) वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पर जाने के लिए वेब लिंक के उल्लेख युक्त एक पत्र 31 जुलाई, 2026 को उन शेयरहोल्डर्स को भेजा गया था जिन्होंने कंपनी/डीपी'ज के पास अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।
4) जिन शेयरहोल्डर्स के पास कट-ऑफ डेट, यानी 19 अगस्त, 2026 को भौतिक मोड या अभौतिक (डीमैटेरियलाइज्ड) मोड में शेयर हैं, वे केफिन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') के ज़रिए एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरहोल्डर्स के वोटिंग अधिकार कंपनी के चुकता इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से हिस्सा लेने वाले शेयरहोल्डर्स की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए की जाएगी।
5) सभी शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि :
   - i) एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
   - ii) एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम से वोट देने की ग्राह्यता निर्धारित करने की कट-ऑफ डेट 19 अगस्त, 2026 होगी।
   - iii) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 23 अगस्त, 2026 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) को शुरू होगी।
   - iv) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।
   - v) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 25 अगस्त, 2026 को शाम 5:00 बजे आईएसटी के बाद वोटिंग के लिए निष्क्रिय हो जाएगा।
   - iv) कोई भी शेयरहोल्डर, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और जिसके पास कट-ऑफ डेट तक शेयर हैं, वह einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत है, तो वे वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   - vii) शेयरधारक ध्यान दें कि: ए) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी; बी) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित वे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे; सी) वे शेयरधारक जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और डी) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम शेयरधारकों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे;
   - viii) अभौतिक (डीमैटेरियलाइज्ड) मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स और जिन शेयरहोल्डर्स ने अपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोटली वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।
   - ix) जिन शेयरहोल्डर्स ने अपना केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ईमेल और अन्य केवाईसी विवरण अपनी डिपॉजिटरी (डीमैट होल्डिंग के लिए) या कंपनी/आरटीए (फिजिकल होल्डिंग के लिए) के साथ रजिस्टर करें।
   - x) रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े सवालों के लिए, शेयरहोल्डर्स https://evoting.kfintech.com के 'डाउनलोड्स' सेक्शन में शेयरहोल्डर्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू'ज) और शेयरहोल्डर्स के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल कर सकते हैं;
6) 42वीं एजीएम में, यदि अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो शेयरहोल्डर्स का हक तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त, 2026 है। शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिलने के बाद, अंतिम लाभांश, घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा।
7) सेबी ने अपने सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण (डीमटेरियलाइजेशन) के लिए एक और स्पेशल विंडो खोली है। यह स्पेशल विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष के लिए खुली है और उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए उपलब्ध है जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों, प्रक्रिया या किसी और कारण से 1 अप्रैल, 2019 से पहले अस्वीकृत या वापस कर दिए गए थे।

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 31 जुलाई, 2026

सौरभ अग्रवाल
कम्पनी सचिव

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
आगरा शाखा: कार्यालय नंबर 504, 5वीं मंजिल, बिजनेस स्क्वायर, ब्लॉक ई-15/8, संजय प्लेस, आगरा-282002 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता(ओं) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है कि संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ता(ओं) ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 01410000023/ आगरा शाखा) जहीरुद्दीन (ऋणी) रेशमा बेगम (सह-ऋणी)	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग मउजा सलाई, कश्मीरी गेट क्षेत्रफल 39.99 वर्ग मीटर जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश 283203 चतुर्सीमाएँ: पूर्व: शकिला बेगम का प्लॉट, पश्चिम: 10 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: जहीरुद्दीन का प्लॉट, दक्षिण: मुंसिब आराजी प्लॉट	08-04-2026 & ₹ 7,41,586/-	30-07-2026

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 01.08.2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ACRE
MAKING ASSETS WORK

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: - यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी-66, जी-ब्लॉक कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय:- 14 वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019

मांग सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत)
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा।

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड से उनके द्वारा लिए गए ऋण क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनकी ऋण क्रेडिट सुविधा को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक ने उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार को नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित पूरी बकाया राशि और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर और ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है, का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। हालांकि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से हमारे द्वारा सर्विस की जा रही है।

कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	प्रतिभूत बंधक सम्पत्ति का विवरण
श्री शंकर शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा (कर्जदार) अनामिका शर्मा पत्नी शंकर शर्मा (सह-कर्जदार)	मांग सूचना की तिथि 22.07.2026; रु. 8,43,236.49/- (रुपये आठ लाख तैंतालीस हजार दो सौ छत्तीस और उनचास पैसे मात्र) 16.07.2026 तक और उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च; एनपीए की तिथि:-04.12.2025; ऋण खाता संख्या LBLF261024AM628	रिहायशी प्लॉट / घर, जिसमें नगर पालिका नंबर 1588 वाला रिहायशी घर शामिल है; यह मोहल्ला - फतेहेरा, कस्बा अछनेरा, तहसील - किरावली, ज़िला - आगरा में स्थित है; क्षेत्रफल 34.373 वर्ग मीटर; श्रीमती अनामिका शर्मा पत्नी श्री शंकर शर्मा के नाम पर; सीमाएँ - "पूर्व : निकास और 6 फीट चौड़ी गली, पश्चिम : श्याम लाल का मकान, उत्तर: देवी प्रसाद का घर, दक्षिण: 4 फीट चौड़ी गली। रिहायशी प्लॉट / घर, जिसमें खसरा नंबर 72/6/1 और 6/2 (कॉलोनी कृष्ण विहार,
रूप किशोर पुत्र शिव चरण (कर्जदार) श्रीमती कमलेश पत्नी रूप कंवर (सह-कर्जदार) सुमित कुमार पुत्र रूप किशोर (सह-कर्जदार)	मांग सूचना की तिथि 22.07.2026; रु. 10,83,126.87/- (रुपये दस लाख तिरासी हजार एक सौ छब्बीस और सत्तासी पैसे मात्र) 16.07.2026 तक और उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च; एनपीए की तिथि:- 04.12.2025; ऋण खाता संख्या LBLF240125AO173	ग्राम - पूठ कलां, तहसील - रोहिणी, ज़िला - उत्तर पश्चिम दिल्ली) का प्लॉट नंबर 19 शामिल है; क्षेत्रफल 38.5 वर्ग गज; श्री रूप किशोर पुत्र श्री शिव चरण के नाम पर; सीमाएँ - पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: प्लॉट नंबर 19 का हिस्सा, उत्तर: प्लॉट नंबर 19 ए, दक्षिण: गली।
यशपाल सिंह पुत्र शीतल प्रसाद (कर्जदार) इन्द्रवाणी पत्नी यशपाल सिंह (सह-कर्जदार) शीतल प्रसाद पुत्र तुला राम (सह-कर्जदार)	मांग सूचना की तिथि 22.07.2026; रु. 14,38,825.97/- (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पच्चीस और सत्तानवे पैसे मात्र) 16.07.2026 तक और उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च; एनपीए की तिथि:-08.11.2025; ऋण खाता संख्या LBLF290824AL735	रिहायशी प्लॉट / घर, जिसमें गाटा नंबर 193/1 का हिस्सा शामिल है; यह मौजा महरामपुर, तहसील - फतेहाबाद, ज़िला - आगरा में स्थित है; क्षेत्रफल 1296 वर्ग फुट; श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद के नाम पर; सीमाएँ - पूर्व: विश्राम का घर, पश्चिम: 10 फीट चौड़ा खड़ंजा, उत्तर: शिव चरण का बाड़ा, दक्षिण: मनोज का घर।

हम एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित कर्जदार से संबंधित मांग नोटिसों में अंकित विशिष्ट की बकाया राशि को आगे के ब्याज के साथ जारी किए गए ब्याज और लागत, शुल्क, व्यय, आदि के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें भुगतान करने के लिए कहते हैं, जिसमें विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत और लागू नियम आप उक्त कर्जदार/सह-कर्जदार (ओं)/कानूनी प्रतिनिधि (ओं)/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) के जोखिम, लागत और परिणामों पर पूरी तरह से उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने तथा प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा करना और बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत दंड प्रावधानों को प्रवर्तित करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार, यदि एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बकाया राशि के साथ-साथ एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और खर्चों के साथ, बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अदा कर दी जाती है, प्रतिभूत संपत्ति को एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और उस प्रतिभूत संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। विशेष रूप से, और जनता, सामान्य रूप से, इसके द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए राशि और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

तिथि : 01.08.2026
स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी
एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015,
शाखा कार्यालय: 2015/1, दूसरी मंजिल पीताम्बा हाइट्स ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चैंबर्स के पास, एलीट झांसी, यूपी-284001 ईमेल: Email: auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम - उमेश कुमार चौहान - 9838202386 आरएलएम - श्री बृजेश कुमार अवस्थी - 9918301885
आरआरएम - श्री पुष्कर अवस्थी - 9453043399

परिशिष्ट- IV-A (नियम 8 (6) का परंतुक देखें) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस,

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कॉर्या : 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 और इसका शाखा कार्यालय: 2015/1, दूसरी मंजिल पीताम्बा हाइट्स ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चैंबर्स के पास, एलीट झांसी, यूपी-284001 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर "जैसा है जहां है", "जैसा है वह क्या है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि : 27.08.2026 को दोप. 14.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 29.08.2026 को अपराह्न 17.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय : 02.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता नं. और कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम/	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और राशि / कुल बकाया तिथि तक	कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	लैन: UP/JNS/JNSI/A000000848 1. मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री सियाराम यादव (ऋणी) 2. श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार यादव (सह-ऋणी)	07-02-2026 और रु. 8,41,474/- / रु. 8,41,474/- दि. 07.02.2026 तक	16.05.2026 सांकेतिक	रु. 16,44,000/- / रु. 1,64,400/- / रु. 10000/-
	अचल संपत्ति का विवरण : एक आवासीय मकान, जो आराजी संख्या 842 के भाग में, क्षेत्रफल 1050.13 वर्ग फीट = 97.95 वर्ग मीटर, मौजा सिमरावारी, ब्लॉक बबीना, तहसील एवं जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश-284120 में स्थित है। चतुर्सीमा: पूर्व-नाली, उसके बाद पठारी वाला का मकान, पश्चिम-10 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर-12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-श्रीमती फूल झारी देवी का मकान।			
	भुगतान का तरीका:- सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा झांसी में अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, खाते का विवरण निम्नानुसार है: क) खाते का नाम: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम: एचडीएफसी, ग) खाता संख्या: HHFLTDUPJNSJNSIA0848 घ) आईएफएससी कोड: HDFC0004989			
2.	लैन: UP/JNS/JNSI/A000000595 & UP/JNS/JNSI/A000001717 1. दिपू यादव पुत्र श्री रमेश्वर यादव (ऋणी) 2. श्री रमेश्वर यादव पुत्र श्री सियाराम यादव (सह-ऋणी) 3. श्रीमती श्यामाकली पत्नी श्री रमेश्वर यादव (सह-ऋणी)	07-02-2026 और रु. 12,83,913/- / रु. 12,83,913/- दि. 07.02.2026 तक	16.05.2026 सांकेतिक	रु. 20,64,000/- / रु. 2,06,400/- / रु. 10000/-
	अचल संपत्ति का विवरण: एक आवासीय मकान सं. BI-416/-A, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट = 83.64 वर्ग मी., मौजा बिजौली, तहसील एवं जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश-284001 में स्थित है। चतुर्सीमा: पूर्व-4.57 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम-संतोष कुमार का मकान, उत्तर-रोहित यादव का प्लॉट, दक्षिण-ज्ञान सिंह का मकान।			
	भुगतान का तरीका:- सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा झांसी में अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, खाते का विवरण निम्नानुसार है: क) खाते का नाम: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम: एचडीएफसी, ग) खाता संख्या: HHFLTDUPJNSJNSIA0595 घ) आईएफएससी कोड: HDFC0004989			

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: - 1. संपत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी दायित्व रहित" के आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात् ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत-बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग-अलग हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिएएक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट auction@hindujahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई-नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., 605ए, पता: सी1 इंडिया प्रा. लि. तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (सम्पर्क व्यक्ति : मिथलेश, फोन नं. 7080804466 ईमेल: delhi@c1india.com, सहायता नो. नं. 7291981124/1125/1126 से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में Demand Draft/NEFT/RTGS के माध्यम से आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) जमा करना होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध प्रारूप), हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा कार्यालय: 2015/1, दूसरी मंजिल पीताम्बा हाइट्स ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चैंबर्स के पास, एलीट झांसी, यूपी-284001 के प्राधिकृत अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। 10. सीलबंद लिफाफे के ऊपर (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) की संपत्ति के लिए ऋण खाता सं. (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली" लिखा जाना चाहिए। 11. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं के विवरण की पुष्टि करेगा (जिन्होंने आरक्षित मूल्य के ऊपर और ऊपर अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान सुरक्षित लेनदार) सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर केवल उन बोलीदाताओं को ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है। 12. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक "10" मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात ई-नीलामी का अंतिम समय स्वचालित रूप से प्रत्येक बार 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर की जाती है। 13. एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा अकेले की गई समझी जाएंगी। 14. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उनकी मेल आईडी auction@hindujahousingfinance.com और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 15. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई बयाना राशि (यदि कोई हो) भी शामिल है, जो बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। देय क्रय मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देनी होगी। 16. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 17 सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है। 18. सफल बोलीदाता को लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करना होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 19. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली देय (यदि कोई हो) और किसी अन्य प्राधिकरण देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले किया जाना है। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएंगी। 20. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल संपूर्ण खरीद मूल्य / बोली राशि जमा करने और सभी करों / शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। 21. कानूनी शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य आकस्मिक प्रभार नीलामी खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री को बिक्री की निर्धारित तिथि से क्र.सं. 1 से 5 के लिए 15 (पंद्रह) दिन और क्र.सं. 6 से 10 के लिए 30 (तीस) दिन के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 23. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 24. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनके द्वारा बाध्य होंगे। 25. अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय शाखा कार्यालय: 2015/1, दूसरी मंजिल पीताम्बा हाइट्स ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चैंबर्स के पास, एलीट झांसी, यूपी-284001के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 26. यह उपर्युक्त ऋण खाते के ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 15 (पंद्रह) दिन का नोटिस है, जो कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुसरण में उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में है

दिनांक : 01.08.2026, स्थान : झांसी **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

विशेष निर्देश/सावधानी: अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

HDFC BANK
We understand your world

कब्जे का नोटिस
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पता: द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाज़ा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel.: 18002100018 CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

जैसा कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया मांग देयराशियां* (रु.)	सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री अजय कुमार कुशवाहा (ऋणी) पुत्र स्व0 श्री शम्भू कुशवाहा श्री हेमन्त कुमार कुशवाहा (सह-ऋणी) पुत्र स्व0 श्री शम्भू कुशवाहा	7,39,492/- दिनांक 31.03.2026* तक	05.05.2026	27.07.2026 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग यूनिट -10, द्वितीय-तल, दुकानें-फैसिलिटी ब्लाक-आईआईई, आईटी पार्क, देहरादून, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित
2	श्री सुरेश कुमार (ऋणी) श्री मुकुल बेदी (सह-ऋणी) श्री विकास शर्मा (जमानतदार)	6,87,450/- दिनांक 31.03.2026* तक	22.04.2026	29.07.2026 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग मकान नं0 448 मिन पर मकान, मौजा महेशपुरा म्यूनिसिपल नं0 1204/1146/311 भाग, काशीपुर, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।
हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए उत्तराधिकारी विशेषत: कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेषत: उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन एचडीएफसी के बन्धक के अधीन होगा।
कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त ऋणी/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसे सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 01.08.2026, स्थान : देहरादून/उधम सिंह नगर

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई-400 013

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028
दूरभाष: 022-69231111/9833546349

[परिशिष्ट-IV-A, [नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित 9(1) देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना,

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से योगेश यादव (ऋणकर्ता) और अनुभा आर्य (सह ऋणकर्ता) (HHLNOD00398715) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति बंधक/चार्ज के अधीन है। सुरक्षित लेनदार को, जिसका कब्जा सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे अब ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, जो कि सुरक्षित लेनदार है।
इसके अलावा, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, दिनांक 29.03.2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सम्मान कैपिटल लिमिटेड (इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड), असाइनर से, अंतर्निहित सुरक्षा सहित संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। उक्त असाइनमेंट समझौते के अनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर का स्थान ले लिया है और वह बकाया राशि की वसूली और सुरक्षा को लागू करने का हकदार है। तदनुसार, नीचे वर्णित अचल संपत्ति को **"जैसी है, जहाँ है", "जैसी है वैसी ही", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारा के" आधार पर बेचा जाएगा**, ताकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता से 27.05.2021 तक ओएआरपीएल को देय कुल बकाया राशि **रु. 1,07,43,092/- (एक करोड़ सात लाख तैंतालीस हजार बानवे रुपये मात्र)** की वसूली की जा सके, जिसमें 28.05.2021 से प्रभावी ब्याज और व्यय भी शामिल हैं। यह संपत्ति सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेची जाएगी। संपत्ति का आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित कॉलम में नीचे दी गई है।

क्र सं.	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता
1.	फ्लैट नं.04, भूतल, टावर 7(एच), गोदरेज समिट, सेक्टर 104,गुरुग्राम, हरियाणा-122001 निर्मित क्षेत्र-1816 वर्ग फुट	Rs. 75,50,000/-	Rs. 7,55,000/-	योगेश यादव- (ऋणकर्ता) अनुभा आर्य - (सह-ऋणकर्ता)

बोलीवृद्धि राशि:	रु. 1,00,000/-	निरीक्षण तिथि और समय:	11 अगस्त 2026 (प्रारंभ 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक)
बोली में भाग लेने का पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	24 अगस्त 2026, शाम 4.00 बजे तक	नीलामी तिथि:	25 अगस्त 2026, अप.12.00 बजे से अप.1.00 बजे तक

ज्ञात जानकारी: उक्त फ्लैट संख्या 04, गोदरेज समिट, गुरुग्राम के संबंध में डेवलपर की ओर से 20.60 लाख रुपये का बकाया है, जिस पर 21.01.2025 तक 19.23 लाख रुपये का ब्याज सहित 22.1.2025 से अतिरिक्त ब्याज देय है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क भी देय हैं: 31.12.2024 तक होल्डिंग शुल्क : 9.00 लाख रुपये, सामान्य क्षेत्र रखरखाव और बिजली - 6.27 लाख रुपये (31.12.2024 तक), स्टाम्प ड्यूटी -8.24 लाख रुपये। क्रेता को उक्त फ्लैट के लिए देय खरीद मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त सभी डेवलपर बकाया और शुल्क का भुगतान करना होगा।

ओएआरपीएल द्वारा नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों में) ईएमडी (मूल डीडी/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान) के साथ 24 अगस्त 2026,शाम 4.00 बजे तक है। बोली जमा करते समय, बोलीदाता को दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29(ए) के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://omkaraarc.com/auction.php पर दिए गए लिंक को देखें।
इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" दूरभाष: हेल्पलाइन: +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन **ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी श्री राजेंद्र भोसले मोबाइल: +91 9833546349, **ईमेल: rajendra.bhosale@omkaraarc.com** से कार्यालयीन समय और कार्यदिवसों में संपर्क करें।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2022 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के 9(1) के साथ पठित नियम 8(6)तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) /सह-उधारकर्ता (ओं)/ बंधककर्ताओं के लिए 15 (पंद्रह) दिनों की अनिवार्य सूचना भी है, उन्हें उपर्युक्त तिथि और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित करना और उन्हें सलाह देना कि यदि वे चाहें तो ऊपर उल्लिखित बकाया राशि और लागत एवं व्यय का भुगतान करके एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) के तहत निर्धारित समय के भीतर परिसंपत्तियों को भुना सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित अनुसार संपत्ति को अधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित लेनदार के विवेक पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।

दिनांक: 01.08.2026
स्थान : मुम्बई

हस्ता./-अधिकृत अधिकारी,
ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

PEARL GLOBAL
Exceeding Expectations...Always

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L74899HR1989PLC140150
पंजीकृत कार्यालय: पर्ल टावर, प्लॉट न. 51, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)
टेलीफान: 0124-4651000; ई-मेल: investor.pgil@pearlglobal.com, वेबसाइट: www.pearlglobal.com

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)
विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण

एतद् द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईइपीएफ नियम, 2016"), तत्पश्चात् यथा-संशोधित, के अनुपालन में शेयरधारकों को सूचना दी जा रही है। **आईइपीएफ नियम 2016 में, अन्य विषयों के साथ, ऐसे सभी शेयरों, जिनके सम्बन्ध में लगातार गत् सात वर्षों या इससे अधिक से लाभांश की अदायगी अथवा शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में निर्धारित तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रावधानित किया गया है।**

वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम), 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (अंतरिम) के अदावा या अदत्त लाभांश, वर्तमान में कंपनी द्वारा बैंक के साथ इस मद हेतु अनुरक्षित संबंधित वर्षों के अदत्त लाभांश खातों में जमा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) का अदावा लाभांश 22 नवंबर, 2026 को हस्तांतरण हेतु बाध्य हो जाएगा। अदावा/अदत्त लाभांश राशि की पूरी जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.pearlglobal.com** पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

आईइपीएफ नियम, 2016 के अनुसार, संबंधित शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) तथा उसके पश्चात् के वर्षों के ऐसे लाभांश का दावा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है जिसके लिए वे अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), **एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सवित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाषः 011-49411000, ई-मेलः investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com अथवा पीजीआईएल, (सचिवीय विभाग), पर्ल टॉवर, प्लॉट सं. 51, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा), दूरभाषः 91-124-4651000, ई-मेलः info@pearlglobal.com को इस प्रकार प्रेषित करें कि वह हस्तांतरण की नियत तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाए।** इस संबंध में उन संबद्ध शेयरधारकों को, जिनके लाभांश एवं शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ)/आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हेतु देय हैं, आईइपीएफ नियम, 2016 के अनुसार कंपनी के अभिलेखों में पंजीकृत उनके पते पर पृथक पत्र डाक द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हस्तांतरण की नियत तिथि से पूर्व अदावा लाभांश का दावा करने हेतु विधिवत् हस्ताक्षरयुक्त औपचारिक पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रेषित करें: (i) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, (ii) पते के प्रमाण की प्रमाणित प्रति, जिसमें ई-मेल पता तथा दूरभाष/संपर्क संख्या का उल्लेख हो, तथा (iii) बैंक खाते का विवरण, जिसके समर्थन में खाताधारक का नाम मुद्रित मूल निरस्त चेक अथवा शेयरधारक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाली बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति संलग्न होय अन्यथा:-

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) का आपका अदावा लाभांश विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया जाएगा; तथा

(ख) उपर्युक्त नियमों के अनुसार आपके समस्त शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएँगे।

उक्त नियमों के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) में हस्तांतरित किए गए अदावा लाभांश तथा शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

जिन संबंधित शेयरधारकों के शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाने हेतु देय हैं, उनका विवरण, जिसमें उनके नाम, फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी तथा हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या सम्मिलित है, कंपनी की वेबसाइट www.pearlglobal.com पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

हालांकि, संबंधित शेयरधारक उक्त नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) में अंतरित अदावा लाभांश तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण को अंतरित शेयरों सहित उन शेयरों पर अर्जित समस्त लाभों, यदि कोई हो, का दावा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण से कर सकते हैं। शेयरधारक **www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध विवरण का भी अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय के संबंध में अधिक जानकारी अथवा किसी स्पष्टीकरण हेतु शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा कंपनी से उपर्युक्त पते पर लिखकर अथवा संपर्क कर सकते हैं।

केवाईसी, पैन, बैंक खाते एवं अन्य विवरणों के अद्यतन हेतु अनुरोध:

एतद् द्वारा सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता, वर्तमान पता, बैंक खाते का विवरण, नामांकन एवं केवाईसी संबंधी विवरण अद्यतन करा लें।

(क) यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास; अथवा

(ख) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तथा उपर्युक्त विवरण/सूचनाएँ अद्यतन नहीं की गई हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास प्रपत्र आईएसआर-1, आईएसआर-2, एसएच-13/एसएच-14/आईएसआर-3 (यथा लागू) प्रस्तुत करके। उक्त प्रपत्र तथा अपेक्षित प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट **www.pearlglobal.com** पर निवेशक संबंध अनुभाग में उपलब्ध हैं।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
शिल्पा सराफ
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता क्रमांक: ACS - 23564

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 31 जुलाई, 2026